



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1148]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ज्येष्ठ 7, 1936

No.1148]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, मई, 2014

**का.आ. 1391(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 85 की उप-धारा (1), उप-धारा (4) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा नदी पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड का गठन करती है, जो निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

- |     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| (क) | केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से भारत सरकार के अपर सचिव स्तर का कोई अधिकारी   | — अध्यक्ष                    |
| (ख) | उत्तरवर्ती राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा प्रत्येक से नामनिर्दिष्ट दो सदस्य, जिसमें एक तकनीकी सदस्य जो मुख्य अभियंता के रैंक से अन्यून नहीं होगा और अन्य प्रशासनिक सदस्य होगा, जो संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे | — सदस्य                      |
| (ग) | केन्द्रीय विद्युत अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से एक विशेषज्ञ   | — सदस्य                      |
| (घ) | केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से एक अधिकारी, जो मुख्य अभियंता से अन्यून नहीं होगा   | — सदस्य सचिव<br>(पूर्णकालिक) |
| 2.  | कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद होगा ।   |                              |

[फा.सं. 1/1/2014—एसपीआर]

उर्विला खाती, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF WATER RESOURCES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 2014

**S.O. 1391(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (4) and (5) of Section 85 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the Central Government hereby constitutes the Krishna River Management Board for the administration, regulation, maintenance and operation of such projects on Krishna river, as may be notified by the Central Government from time to time, consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| (1) An officer of the level of Additional Secretary to the Government of India from the Central Water Engineering (Group 'A') Service   | - | Chairperson      |
| (2) Two members, to be nominated by each of the successor States of Telangana and Andhra Pradesh, of which one shall be the technical member not below the rank of Chief Engineer and the other administrative member to represent the concerned States | - | Members          |
| (3) One expert from the Central Power Engineering (Group 'A') Service   | - | Members          |
| (4) An Officer not below the rank of Chief Engineer from the Central Water Engineering (Group 'A') Service  | - | Member Secretary |

2. The headquarters of the Krishna River Management Board shall be at Hyderabad.

[F. No.1/1/2014-SPR]

URVILLA KHATI, Jt. Secy.